रामकुंवार बनाम किशनाराम वगैरह
मुकदमा नम्बर /
जीसीएमएक नम्बर 2021/ ....

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के मौजा ढेहरी के खेत खसरा नं. 502 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–मातासुख तहसील– जायल के खसरा नं. 698 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक 3670 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार लाल स्याही पेन से डोटेट अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक 3670 दिनांक 01.06.2022 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी। उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम मातासुख तहसील– जायल के खसरा नं. 698 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक / अप्रार्थीगणों को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे।

माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.24 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

(सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल)

Scanned with CamScanner